

रुपये प्रति एकड़ के साथ-साथ 2½ प्रतिशत वार्षिक भूमि किराया के स्थान पर बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर 9 प्लॉट 1,25,000 रुपये प्रति एकड़ की दर पर आवंटित किये गये हैं। किसी भी पत्रकार को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) मुद्रण उद्योग (प्रेस इण्डस्ट्री) के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रीमियम की दर में मामूली सी रियायत की गई है।

(ग) 6 स्थानों पर निर्माण पूरा हो चुका है तथा तीन स्थानों पर निर्माण चल रहा है।

(घ) भूमि के आवंटन के लिए ऐसे कोई नियम नहीं हैं। भूमि की उपलब्धता तथा मास्टर प्लान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अनुरोध पर उसकी पात्रता के अनुसार विचार किया जाता है।

राजस्थान में पीने के पानी की कमी

980। श्री श्रीकार लाल बोहरा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पीने के पानी की कमी होने के कारण राजस्थान के तथा विशेषतः वहां के पर्वतीय तथा रेतीले क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है; और

(ख) पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए 1968-69 में राजस्थान सरकार को कितनी सहायता दिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सु० झूति) : (क) और (ख). पेय जल पूर्ति योजनाओं की क्रियान्विति तथा उनके लिए धन की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ग्रामीण नल जल पूर्ति योजनाओं के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय

सहायता 50 प्रतिशत तक सहाय्यानुदान के रूप में दी जाती है। सभी राज्य सरकारों के लिए 1868-69 में केन्द्रीय बजट में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्यों को अलग कितनी-कितनी राशि दी जायेगी इसका अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

Subsidy on Transport of indigenously Produced Furnace Oil

9802. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH :
SHRI P. C. ADICHAN :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration the question of continuance of subsidy on the transport of indigenously produced furnace oil used for power generation beyond March, 1968 ;

(b) if so, the decision taken in the matter ; and

(c) the amount spent on this account by Government during the last year, the provision in the budget for the year 1968-69 for this purpose and whether this allocation is to be raised and if so, to what extent ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b). It has been decided to continue the freight concession on the movement of furnace oil produced from wholly indigenous crude and used by public utilities for power generation upto the periods indicated below :

(i) On regular grade Furnace Oil upto 30.6.1968.

(ii) On law Sulphur Heavy Stock upto 31.8.1971.

(c) The budget grant for last year was Rs. 44,26,000 ; the final figures of expenditure are not yet available. Pending a decision regarding the extension of this concession beyond 31.3.1968, a provision of Rs. 10 lakhs was made for 1968-69. This will require review depending on the consumption of this product for power generation by public utilities.